न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/10/2021	2021/149	08.10.2021	20.01.2025

1. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ अलवर जरिये विकारा अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ़।

——निगरानीकार

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री पूरण साहू हाल तेली कॉलोनी, नई सब्जी मण्डी के पास, लक्ष्मणगढ़, अलवर राज0।
2. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ अलवर जरिये सचिव/सरपंच।

——गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ दिनांक 23.09.1997 जिसके द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ।

उपस्थितः—

01. श्री अशोक शर्मा — वकील निगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ दिनांक 23.09.1997 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ ने गैर निगरानीकार संख्या 1 को आबादी भूमि का विक्रय/आवंटन किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 23.09.1997 को गैरनिगराकार सं0 2 ने गैर निगराकार सं० 1 के हक में आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने बाबत आदेश पारित किया वह आदेश 840 वर्गफुट भूमि हेतु जारी किया तथा इस बाबत शुल्क तौर पर गैरनिगराकार सं० 1 से 420/— रूपये वसूल किये गये तथा उक्त राशि पंचायत कोष में जमा कराई गई।

उपर्युक्त वर्णित पट्टा जारी करते समय गैर निगराकार ने ना केवल पंचायत अधिनियम के अहम प्रावधानों की अनदेखी की है, बल्कि विधि के सामान्य सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया है। नियमन पट्टा जारी करते समय ना तो आबादी भूमि पर किये गये किसी निर्माण की जानकारी की ना ही जिस भूमि बाबत पट्टा जारी किया गया है, उसकी सही वस्तु स्थिति की ही कोई जानकारी की उक्त भूखण्ड पर जो निर्माण है। यह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है या नहीं ना ही नियमानुसार कोई मौके का निरीक्षण कराया गया जो कथित मौका निरीक्षण रिर्पोट पेश कराई गई है यह भी अपूर्ण है तथा उसने मौके से संबंधित कोई तथ्य यथा भूखण्ड का नाम, भूखण्ड की हदूद अर्बा तथा भूखण्ड के आस पास की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही जहां भूखण्ड स्थित है उस मौहल्ले पडौस का कोई नाम ही अंकित किया गया है तथा भूखण्ड के आस—पास स्थित सार्वजनिक गली या रास्ता की स्थिति का कोई आंकलन नहीं किया गया है कि अमुक भूखण्ड के निर्माण से किसी प्रकार का अतिक्रमण के निर्माण से किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ता या गली में तो नहीं किया गया है।

भूखण्ड हेतु नियमन पट्टा जारी करने हेतु जो उज्रदारी नोटिस निकाला गया है, उसमें भी भूखण्ड की हदूद अर्बा या मौहल्ला/गली का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ताकि उज्जदार सम्पत्ति/भूखण्ड की कोई पहचान से उसकी उज्रदारी करने या ना करने की स्थिति पर विचार कर सके ना ही उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक स्थलों व प्रश्नगत भूखण्ड/भवन पर चस्पा किये जाने बाबत कोई निर्देश ही दिये गये ना ही उक्त उज्रदारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया ऐसी किसी रिर्पोट का हवाला ही अपने विवादित आदेश में लिखा है। इस प्रकार विनियमन पट्टा विधिक प्रावधानों की पूर्ण अनदेखी करते हुए जारी किया गया है। जिस आदेश को मान्य करार नहीं दिया जा सकता है। उक्त पट्टे के आदेश बाबत जांच कराई गई तो उस जांच में भी भारी अनियमितता जांच अधिकारी द्वारा पाई गई।

राज० पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 (1) में निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नहीं है उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि नियमन पट्टा आदेश दिनांक 23.09.1997 को अवैध करार दिया जाकर निरस्त किये जाने बाबत आज्ञा सादिर प्रदान करें। निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अनिगरानीकारों को नोटिस जारी किया गया। अनिगरानीकार बाबजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

वकील निगरानीकार की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील निगरानीकार की बहस पर चिन्तन–मनन किया। निगरानी में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा उक्त आराजी/प्लॉट चिरंजीलाल, परताब, राम अवतार पुत्रान किशनलाल निवासी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर से जरिये अपंजीकृत इकरारनामा खरीद की गई। प्रार्थी द्वारा अपनी खरीदशुदा प्लॉट के पट्टे हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके संबध ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.06.1997 को नोटिस जारी किया गया जिसके संबंध में 15 दिवस में किसी ने भी कोई उज्रदारी पेश नहीं की। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण 30.08.1997 को किया गया। मौके निरीक्षण में मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर पट्टा दिये जाने की रिफारिश की। तत्पश्चात ग्राम पचांयत लक्ष्मणगढ द्वारा पट्टे की राशि जमा करवाकर पट्टा सर्वसम्मति से प्रार्थी जगदीश प्रसाद साहू को पट्टा जारी किया जाना स्वीकार किया। रिकॉर्डानुसार पट्टा मुताबिक विधिक प्रक्रियानुसार स्वीकार हुआ है। वकील निगरानीकार/निगरानीकार द्वारा भी निगरानी के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये गये हैं, जिससे सिद्ध होता हो कि ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ द्वारा पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि एवं अनियमितताएं की हो। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन या किसी प्रकार की प्रक्रियागत त्रुटि नहीं पाई जाती है। निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। निगरानी सारहीन हाने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना–पत्र साक्ष्य/सबूत के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत लक्ष्मणढ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार